

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी / अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोंडेन्ट


श्री गौरव कुमार बनौधा  
निवासी विकास नगर  
देलवाडा रोड आबूपर्वत  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी  
तहसीलदार, देलदर

किरम मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 51 वर्ष 2026

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
28.04.2026	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलदर को एक आवेदन दिनांक 26.02.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ढूंढाई पटवार हल्का आबूपर्वत भू-अभिलेख निरीक्षक आबूपर्वत तहसील देलदर के अन्तर्गत स्थित खसरा नम्बर 85/1, 85/2 तथा खसरा संख्या 85/3 की वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवाधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए हैं। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलदर को एक आवेदन दिनांक 26.02.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ढूंढाई पटवार हल्का आबूपर्वत भू-अभिलेख निरीक्षक आबूपर्वत तहसील देलदर के अन्तर्गत स्थित खसरा नम्बर 85/1, 85/2 तथा खसरा संख्या 85/3 की वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलदर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई नहीं गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
(रोहितेश्व सिंह तोमर)  
जिला कलक्टर, सिरौही